

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

मुकदमा नम्बर 36/2015

दायर दिनांक 01.09.2015

—: अनवान:—

1.गोपाल पिता मांगु रेगर निवासी खाखुन्दा तहसील माण्डलगढ़

(प्रार्थी)

बनाम

1. नाथु पिता नाराण जाति रेगर निवासी जाल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़

(अप्रार्थी)

अधिवक्ता प्रार्थी श्री महेशचन्द्र सुखवाल

निर्णय दिनांक 02 सितम्बर 2019

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी गोपाल पिता मांगु रेगर निवासी खाखुन्दा तहसील माण्डलगढ़ पेशा कृषि ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उसके नाम ग्राम पीथलपुरा पटवार हल्का राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित आराजी न0 17 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। जो कि खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी नाथु पिता नाराण जाति रेगर निवासी जाल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ ने पटवारी हल्का राजगढ़ के आराजियात ग्राम पीथलपुरा के आराजी न0 17 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा की पूर्व की तरफ 15 बिस्वा भूमि पर एक वर्ष पहले जबरन कब्जा कर लिया। उक्तानुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी रा0 टि0 ए0 के तहत दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नियमानुसार जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी दिनांक 17.08.2016 को बावजूद सुचना के उपस्थित नहीं हुआ जिससे उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यावाही अमल में लायी गयी। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में पत्थरगढ़ी का पर्चा प्रस्तुत किया तथा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मंगायी गयी जिसमें भू0 अभि0 नि0 द्वारा विपक्षी का कब्जा 15 बिस्वा भूमि पर होना बताया।

उक्त पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी एवं पत्थरगढ़ी के पर्चे से एवं मौका रिपोर्ट से यह पूर्णतः साबित है कि अप्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर रखा है। अप्रार्थी द्वारा उक्त मामले में कोई शाहदत पेश नहीं की है और न ही उपस्थित हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे यह पूर्णतः साबित है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। इसलिये अप्रार्थी का विवादित भूमि से कब्जा हटाया जाकर प्रार्थी को सुपर्द किया जाना न्यायोचित है।




महेशचन्द्र सुखवाल
तहसीलदार
माण्डलगढ़

आदेश

ग्राम पीथलपुरा पटवारी हल्का राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित आराजी न0 17 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि के पूर्वी तरफ 15 बिस्वा भूमि का कब्जा अप्रार्थी का हटाया जाकर प्रार्थी सुपुर्द किए जाने का निर्णय पारित किया जाता है। इस बाबत संबंधित भू0अभिलेख निरीक्षक को अलग से तहरीर जारी की जावे। पत्रावली बाद दाखला सुमार फैसल हो ।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2019 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले इजलास मे सरे-आम सुनाया गया।




(गोवर्धन लाल बैरवा)
तहसीलदार
माण्डलगढ़
जिला भीलवाड़ा